सन्दर्भ सं. सीजीटीएमएसई / 88   01 अगस्त 2024

सीजीटीएमएसई के सभी सदस्य ऋणदात्री संस्थाएँ (**एमएलआई**) – **सीजीएस** I **और सीजीएस** II & **सीजीएस** III

परिपत्र सं.240/2024-25

मैडम/प्रिय महोदय,

स्पष्टीकरण - अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम (आईएमई) के लिए विशेष प्रावधान

कृपया अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम (आईएमई) के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित परिपत्र संख्या 238/2023-24 दिनांक 14 फरवरी, 2024 देखें। इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) को उन उद्यमों के संबंध में जीएसटी छूट के संबंध में घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने गारंटी कवरेज के लिए आवेदन करते समय एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार के उद्यम एसिस्ट प्लेटफार्म (यूएपी) से उद्यम पंजीकरण संख्या (यूआरएन) प्राप्त की है। दूसरे शब्दों में, यूएपी पर पंजीकृत उद्यम जीएसटी के लिए छूट के संबंध में किसी भी घोषणा के बिना भी विशेष प्रावधान के तहत कवरेज के लिए पात्र हैं।

ऐसी घोषणा केवल उन उद्यमों के संबंध में प्रस्तुत की जानी आवश्यक है जिन्होंने एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार के उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) से यूआरएन प्राप्त किया है।

कृपया इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपने सभी कार्यालयों के ध्यान में लाएँ ।

भवदीय,

ह/-

(धीरज कुमार)

उप महाप्रबंधक